संख्या-23 /2018/1263 / सत्रह-म-2018-5(69)/81

प्रेषक,

डा0सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिनांक अगस्त 2018

विषय: मत्स्य विभाग/ उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम / उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 के अधीन आने वाले विभिन्न श्रेणियों के जलाशयों की प्रबन्ध व्यवस्था हेतु निर्धारित नीति में संशोधन विषयक।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-94/सा0शा0/ज-1(16)।।। दिनांक 14 मई,2018 एवं तत्क्रम में प्रेषित पत्र संख्या-127/सा0शा0/ज-1(16)/।।। दिनांक 06 जुलाई,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मत्स्य विभाग/ उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम/ उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ के अधीन आने वाले श्रेणी-1,2,3 व श्रेणी-4 के जलाशयों की प्रबन्ध व्यवस्था हेतु पूर्व में निर्गत सुसंगत शासनादेशों / निर्धारित नीति में संशोधन किये जाने का संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान परिवेश में जलाशयों में मत्स्य उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करने एवं पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से जलाशयों का निस्तारण किये जाने के उददेश्य के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-765/57-मत्स्य-2000-5(69)/81 दिनांक 08 मार्च, 2000, शासनादेश संख्या-1573/57-म-2000-5(69)/81 दिनांक 20 अप्रैल 2001, शासनादेश संख्या-2845/57-म-2002-5(69)/81 दिनांक 09 अगस्त, 2002 एवं शासनादेश संख्या-3856/सत्रह-म-2003-5(69)/81 दिनांक 18 दिसम्बर,2003 सहित अन्य सुसंगत शासनादेशों में निम्नवत संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

जलाशयों की प्रबन्ध व्यवस्था हेतु निर्धारित नीति में संशोधन

<table>
<tr><th>शासनादेश सं0</th><th>पूर्व में निर्धारित व्यवस्था</th><th>संशोधित व्यवस्था</th></tr>
<tr><td>शासनादेश सं0-765/57-मत्स्य-2000-5(69)/81 दि0- 08.03.2000</td><td>शासनादेश संख्या- 2586/12-ई-3-1981 दिनांक 30 मई, 1981 में निहित विभागीय जलाशयों की श्रेणीबद्धता शासनादेश संख्या- 765/57-मत्स्य-2000-5(69)/81 दिनांक 08 मार्च,2000 द्वारा निष्प्रभावी है।</td><td>भारत सरकार एवं राष्ट्रीय मत्स्यिकीय विकास बोर्ड के मैनुअल के अनुसार जलाशयों को क्षेत्रफल के आधार पर निम्नवत श्रेणीबद्ध किया जाता है :-
<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>जलाशय का प्रकार</th><th>श्रेणी</th><th>जलाशय का क्षेत्रफल(हेक्टेयर)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>बृहद जलाशय</td><td>श्रेणी -1</td><td>5000 से बडे</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

2	मध्याकार जलाशय	श्रेणी -2	1001 से 5000 तक
3	लघु जलाशय (वर्ग क)	श्रेणी -3	201 से 1000 तक
4	लघु जलाशय (वर्ग ख)	श्रेणी -4	40 से 200 तक
5	मत्स्य विभाग के तालाब	श्रेणी -5	40 से न्यून

क्रमांक -5 पर अंकित तालाबों के निस्तारण में श्रेणी -3 एवं 4 के जलाशयों की पूर्व प्रबन्ध व्यवस्था (नीलामी प्रक्रिया छोडकर) के प्रावधान लागू होगें। विभिन्न योजनाओं में निर्मित मत्स्य आस्थान विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित श्रेणी-3 एवं 4 के जलाशयों की भॉति निस्तारण नीति के अन्तर्गत निस्तारित किये जायेगें। शासनादेश संख्या-4948/17-म-2005-5(69)/81 दिनांक 16 जनवरी, 2006 के पात्रता सम्बंधी प्रावधान मात्र श्रेणी- 4 के जलाशयों एवं श्रेणी-5 के मत्स्य विभाग के तालाबों पर लागू होगें। शासनादेश संख्या- 1473/12-मत्स्य-6-4 दिनांक 09 मई, 1985 से आच्छादित पॉच जलाशयों पर इस शासनादेश के प्रावधान लागू नही होगें।

शासनादेश सं0-765/57-मत्स्य-2000-5(69)/81 दि0-08.03.2000	**प्रस्तर-2(1)** श्रेणी एक व दो के जलाशयों की ठेके की अवधि तीन वर्ष होगी। ठेके के प्रथम वर्ष की अवधि की स्वीकृति की दिनांक से प्रारम्भ होकर 30 जून तक मानी जायेगी। शेष वर्षों में ठेके की अवधि 01 जुलाई से 30 जून तक होगी।	**प्रस्तर-2(1)** **1**- समस्त श्रेणी के जलाशयों एवं श्रेणीबद्धता के क्रमांक-5 पर अंकित तालाबों के लिए मत्स्याखेट ठेके की अवधि दस वर्ष होगी, किन्तु पांचवें एवं सातवें वर्ष के उपरान्त ठेका संचालन की मध्यावधि समीक्षा सम्बन्धित जलाशयों के नियंत्रणाधीन सक्षम स्तर क्रमशः निदेशक मत्स्य, उ0प्र0/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 द्वारा की जायेगी। ठेका बीच में छोड़ने पर जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

http://shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		2- ठेकेदार द्वारा पहले पांच वर्ष सफलतापूर्वक ठेका चलाये जाने के उपरान्त ठेकेदार के क्रियाकलापों (किश्तों की धनराशि समय से जमा करने एवं प्रतिबन्धित अवधि में मत्स्याखेट गतिविधियों को रोकने तथा समुचित मात्रा में मत्स्य अंगुलिका संचय करने की स्थिति) के आधार पर पॉचवे वर्ष की 01 जून से 30 जून के मध्य, मध्यावधि समीक्षा सम्बंधित सहायक निदेशक मत्स्य/ जनपदीय विभागीय अधिकारियों एवं उप निदेशक मत्स्य की संस्तुति के आधार पर निदेशक मत्स्य के स्तर से अनुमोदित की जायेगी। उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम के जलाशयों हेतु मध्यावधि समीक्षा अधिशाषी प्रबन्धक (जलाशय)एवं मुख्य महाप्रबन्धक की संस्तुति के आधार पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा की जायेगी। उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ के जलाशयों हेतु मध्यावधि समीक्षा प्रबन्ध निदेशक द्वारा की जायेगी। **3**- ठेकेदार द्वारा ठेका आगे चलाये जाने की सहमति की दशा में ठेका अनुबन्ध आगामी तीन वर्ष हेतु जलाशय के स्वीकृता अधिकारी द्वारा विस्तारित किया जायेगा। **4**- ठेकेदार द्वारा पहले आठ वर्ष सफलतापूर्वक ठेका चलाये जाने के उपरान्त, ठेकेदार के क्रियाकलापों (किश्त समय से जमा करने एवं प्रतिबन्धित अवधि में मत्स्याखेट गतिविधियों को रोकने तथा समुचित मात्रा में मत्स्य अंगुलिका संचय करने की स्थिति) के आधार पर मूल्यांकन सातवें वर्ष की 01 जून से 30 जून के मध्य किया जायेगा। उपयुक्त पाये जाने की दशा में ठेका अनुबन्ध पुन: आगामी दो वर्ष हेतु जलाशय के स्वीकृता अधिकारी द्वारा विस्तारित किया जायेगा।

http:// shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		5 - ठेके के प्रथम वर्ष की अवधि ठेके की स्वीकृत होने के दिनांक से प्रारम्भ होकर आगामी 30 जून तक मानी जायेगी। शेष वर्षो में ठेके की अवधि 01 जुलाई से 30 जून तक मानी जायेगी। **6-** 01 जुलाई से 31 अगस्त तक मत्स्याखेट प्रतिबन्धित रहेगा।
शासनादेश सं0-765/57-मत्स्य-2000 -5(69)/81 दि0-08.03.2000	**प्रस्तर-2(2)** सभी जलाशयों का निस्तारण मण्डलीय मुख्यालय पर किया जायेगा। नीलामी प्राक्रिया मे भाग लेने वाले ठेकेदार/मत्स्य जीवी सहकारी समिति में जिसकी भी बोली अधिक होगी, उसके पक्ष में ठेका उचित बोली प्राप्त होने पर स्वीकार किया जायेगा। इस नीलामी प्रक्रिया में मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को श्रेणी-1 तथा श्रेणी-2 के जलाशयों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।	**प्रस्तर-2(2)** शासनादेश में प्रयुक्त नीलामी शब्द के स्थान पर ई-निविदा / निविदा पढा जायेगा। **1-** श्रेणी 1,श्रेणी 2,श्रेणी 3 एवं श्रेणी 4 के जलाशयों का निस्तारण मण्डलीय मुख्यालय पर संयुक्त विकास आयुक्त की अध्यक्षता में किन्तु उनकी अनुपस्थिति में सम्बंधित मण्डल के मण्डलायुक्त द्वारा नामित प्रतिनिधि (मत्स्य विभाग के अधिकारी को छोडकर) की अध्यक्षता में पूर्व में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। श्रेणी -5 के जलाशयों एवं मत्स्य विभाग के तालाबों का निस्तारण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी (मत्स्य विभाग के अधिकारी को छोडकर) की अध्यक्षता में पूर्व में गठित समिति द्वारा जनपद स्तर पर किया जायेगा। श्रेणी-1, श्रेणी-2 श्रेणी-3 श्रेणी-4 एवं श्रेणी-5 के जलाशयों का निस्तारण '' जहॉ है जैसे है'' के आधार पर किया जायेगा। किन्ही भी परिस्थितियों में यथा प्राकृतिक आपदा, अवर्षण अथवा नहरों से सिंचाई के फलस्वरूप जलाशय का जलस्तर कम होने की स्थिति में ठेकेदार द्वारा ठेके के सम्बंध में किसी भी प्रकार के दावे की प्रतिपूर्ति मान्य नहीं होगी।

http:// shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		2- समस्त जलाशयों में मत्स्याखेट ठेका का निस्तारण ई-निविदा /निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा। शासन द्वारा समय-समय पर ई-निविदा हेतु निर्धारित धनराशि सीमा के अन्तर्गत आने वाले आरक्षित मूल्य के जलाशयों में मत्स्याखेट ई- निविदा प्रक्रिया एवं ई-निविदा प्रक्रिया के लिए निर्धारित सीमा से कम धनराशि के आरक्षित मूल्य वाले जलाशयों का निस्तारण निविदा प्रक्रिया से किया जायेगा। निविदा प्रक्रिया के लिए शासनादेश संख्या-2845/57-म-2002-5(69)/81 दिनांक 09 अगस्त 2002 की व्यवस्था प्रभावी रहेगी। **3-** ई-निविदा के माध्यम से मत्स्याखेट ठेका निस्तारण संगत शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्थानुसार राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से किया जायेगा। सेवा प्रदाता द्वारा निस्तारण हेतु दी शर्तो का अनुमोदन सम्बंधित विभागाध्यक्ष के स्तर से किया जायेगा। किसी प्रकार की विशेष शर्तो का अनुमोदन शासन से प्राप्त किया जायेगा। **4**-ई-निविदा प्रकिया में होने वाले प्रशासनिक व्यय का वहन सर्वोच्च ई-निविदा दाता से प्राप्त धनराशि से समायोजित किया जायेगा। **5**- निविदा समिति उच्चतम मूल्य पर निर्णय लेते हुए अपनी संस्तुति सक्षम स्वीकृता अधिकारी निदेशक मत्स्य, उ0प्र0/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0/प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 को प्रेषित करेगी। मत्स्य विभाग के श्रेणी-3, 4 एवं 5 के जलाशयों /तालाबों के मत्स्याखेट ठेका की स्वीकृति हेतु सक्षम स्वीकर्ता अधिकारी

http:// shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		सम्बंधित उप निदेशक मत्स्य होगें। **6-**ई-निविदा प्रक्रिया में मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को किसी प्रकार की छूट नहीं होगी।
शासनादेश सं0-2845/57-म-2002 -5(69)/81 दि0-09 अगस्त, 2002	**प्रस्तर- 3** पूर्व निर्गत उक्त समस्त शासनादेशों क्रमश: दिनांक 08.03.2000, 11.04.2001,व 20.04.2001 में श्रेणी -एक तथा श्रेणी-दो के जलाशयों के सम्बंध में प्रत्येक ऐसे स्थान पर जहॉ- जहॉ नीलामी शब्द अंकित है,उन सभी स्थानों पर टेण्डर-सह- नीलामी शब्द पढा जायेगा।	**प्रस्तर- 3** उन सभी स्थानों पर टेण्डर -सह-नीलामी शब्द विलोपित करते हुए ई-निविदा /निविदा शब्द पढा जायेगा।
शासनादेश सं0-765/57-म-2000 -5(69)/81 दि0-08.03.2000	**प्रस्तर 2(7)** सम्बंधित जलाशयों में मत्स्य बीज संचय का उत्तरदायित्व मत्स्य विभाग/उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम का होगा। सम्बधित ठेकेदार द्वारा मत्स्य बीज का मूल्य व यातायात व्यय, मत्स्य विभाग/ उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम को ठेके की किश्त के साथ प्रतिवर्ष अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। श्रेणी'- दो के जलाशयों में मत्स्य बीज संचय हेतु मत्स्य विभाग द्वारा ठेकेदार की सहमति से मत्स्य बीज मत्स्य विकास निगम /मत्स्य विभाग द्वारा या निजी हैचरियों से उपलब्ध कराया जायेगा। मत्स्य बीज संचय न करने की दशा में ठेका निरस्त किया जा सकता है।	**प्रस्तर-2(7)** मत्स्य अंगुलिका संचय की निम्न व्यवस्था निर्धारित की जा रही है:- सम्बंधित जलाशयों में मत्स्य अंगुलिका संचय का उत्तरदायित्व मत्स्य विभाग उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 /उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ का होगा। सम्बंधित ठेकेदार द्वारा मत्स्य अंगुलिका का मूल्य व यातायात व्यय, मत्स्य विभाग/ उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम/उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ को नीलामी में बोली स्वीकृत के समय 25 प्रतिशत जमा की जाने वाली धनराशि के साथ तथा अनुवर्ती वर्षो में ठेके की किश्त के साथ जून/ अगस्त में देय किश्त के साथ अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। सभी श्रेणी के जलाशयों में मत्स्य अंगुलिका संचय हेतु मत्स्य विभाग/ उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम/उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ द्वारा ठेकेदार की सहमति से मत्स्य अंगुलिका, मत्स्य विकास निगम की हैचरी/ मत्स्य विभाग के मत्स्य प्रक्षेत्र द्वारा या निजी हैचिरयों से उपलब्ध कराया जायेगा।जलाशयों के प्रबन्धन यथा-

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		उत्पादकता, आकलन एवं जलाशयवार मत्स्य अंगुलिका के आंकलन के सम्बंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निदेशक मत्स्य जारी करेंगे। प्रतिबन्धित मत्स्य प्रजातियों का मत्स्य बीज संचय कदापि नहीं किया जायेगा। संकटग्रस्त एवं नाजुक दौर में पहुंच गई मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण के लिए मत्स्य प्रग्रहणकर्ता को उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करना बाध्यकारी होगा।
शासनादेश सं0-765/57-मत्स्य-2000 -5(69)/81 दि0-08.03.2000	**प्रस्तर-2(8)** समिति /ठेकेदार को ठेके की अवधि की नीलामी धनराशि की पांच प्रतिशत बतौर जमानत/ राष्ट्रीय बचत पत्र /एफ0डी0आर0 के रूप में अनुबन्ध-पत्र भरते समय मत्स्य विभाग /उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम के पक्ष में जमा करना अनिवार्य होगा। ठेका समाप्त होने के 06 माह पश्चात् जमानत अवमुक्त की जायेगी। यदि समिति/ठेकेदार पर कोई धनराशि बकाया निकलती है तो जमानत से कटौती की जाएगी।	**प्रस्तर-2 (8)-** **1**- समिति/ठेकेदार को ठेके की अवधि की प्रथम पाँच वर्ष की कुल धनराशि की पांच प्रतिशत धनराशि बतौर जमानत राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ0डी0आर0 (पांच वर्ष अवधि) के रूप में अनुबन्ध-पत्र भरते समय मत्स्य विभाग/ उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम/उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ के पक्ष में जमा करनी होगी तथा मध्यावधि समीक्षा उपरान्त शेष अवधि की जमानत जमा करायी जायेगी। **2**- ठेका समाप्त (10 वर्ष पूर्ण) होने के 06 माह पश्चात् जमानत अवमुक्त की जायेगी। यदि समिति /ठेकेदार पर कोई धनराशि बकाया निकलती है तो जमानत से कटौती कर ली जायेगी। **3**- पांचवे वर्ष एवं सातवें वर्ष उपरान्त किये जाने वाले ठेका की मध्यावधि समीक्षा में ठेका संचालन उपयुक्त नहीं पाये जाने अथवा ठेकेदार द्वारा ठेका अवधि के पूर्ण होने के पूर्व ही स्वेच्छा से ठेका छोड़ने की स्थिति में यदि ठेका निरस्त किया जाता है तो जमानत धनराशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त किया जायेगा, साथ ही ठेके के अवशेष बकाया

http:// shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति ठेकेदार/ समिति से की जायेगी। **4**- ठेकेदार/समिति द्वारा ठेका बीच में छोड़ने की प्रवृत्ति परिलक्षित होने पर उसे काली सूची में डालने का अधिकार निदेशक मत्स्य उ0प्र0 /प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 में निहित होगा।
शासनादेश सं0-765/57-मत्स्य-2000 -5(69)/81 दि0-08.03.2000	**प्रस्तर-2(9)** मत्स्य जीवी सहकारी समिति /ठेकेदार द्वारा उचित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र भरा जायेगा। स्टैम्प शुल्क सम्बन्धित ठेकेदार /समिति द्वारा देय होगा। अनुबन्ध पत्र में प्रथम वर्ष एवं शेष वर्षों की किश्त जमा करने की समयसारिणी में पूरे विवरण का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जायेगा। अनुबन्ध पत्र पर समिति/ठेकेदार तथा मत्स्य विभाग /उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम की ओर से सहायक निदेशक मत्स्य/ अधिशासी प्रबन्धक के द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। अनुबन्ध की मूल प्रति विभाग /मत्स्य विकास निगम के पास रहेगी तथा छायाप्रति समिति / ठेकेदार को देय होगी।	**प्रस्तर-2(9) -** **1**- ठेकेदार/समिति द्वारा कर निबन्धन विभाग द्वारा निर्धारित देय मूल्य के स्टैम्प पेपर पर ठेका अनुबन्ध पत्र पूर्ण कराते हुए पंजीकृत कराया जायेगा। स्टैम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क सम्बन्धित ठेकेदार /समिति द्वारा देय होगा। **2**- अनुबन्ध पत्र में प्रथम वर्ष एवं शेष वर्षों की किश्त जमा करने की समय सारिणी का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जायेगा। अनुबन्ध पत्र पर समिति /ठेकेदार तथा मत्स्य विभाग /उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम /उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 की ओर से क्रमशः सहायक निदेशक मत्स्य / अधिसाषी प्रबन्धक/प्रबन्धक के द्वारा हस्ताक्षरित (दिनांक सहित) किया जायेगा विशेष परिस्थितियों में उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 की ओर से आवश्यकतानुसार प्रबन्ध निदेशक द्वारा अधिकृत कार्मिक अनुबन्ध सम्पादित कर सकेगा।अनुबन्ध की मूल प्रति मत्स्य विभाग /उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम/उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 के पास रहेगी तथा छाया प्रति समिति/ठेकेदार अपने पास रखेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

		3- ठेका स्वीकृति आदेश के अधिकतम 15 दिन के भीतर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा। ठेका अनुबन्ध हेतु किसी भी प्रकार की समय वृद्धि प्रदान नहीं की जायेगी एवं ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
शासनादेश सं0-765/57-मत्स्य - 2000 -5(69)/81 दि0-08.03.2000	**प्रस्तर-3/ प्रस्तर-3(घ)एवं प्रस्तर-4 (ग)** मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य-सदस्य सचिव	**प्रस्तर-3/ प्रस्तर-3(घ)** मण्डलीय उप निदेशक मत्स्य /अधिशाषी प्रबंधक (जलाशय) उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम/ प्रबंध निदेशक उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ द्वारा नामित कार्मिक-सदस्य सचिव होगा।
शासनादेश सं0-1573/57-म-2000-5 (69)/81 दि0-20.04.2001	**प्रस्तर-1** नीलामी से सम्बंधित अन्य शर्तों के अतिरिक्त खुली नीलामी में वार्षिक आधार पर जो सबसे अधिक बोली प्राप्त होगी, उसकी 25 प्रतिशत धनराशि बोली स्वीकार करने के उपरान्त ठेकेदार/ समिति को तत्काल जमा करनी होगी तथा शेष 75 प्रतिशत धनराशि अनुबन्ध के पश्चात 31 मार्च तक समान मासिक किश्तों में जमा करनी होगी। ठेके के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की 25 प्रतिशत धनराशि ठेकेदार /समिति को 15 अगस्त तक शेष 75 प्रतिशत धनराशि 31 मार्च तक समान मासिक किश्तों में जमा करानी होगी। बोली स्वीकार करने के उपरान्त अनुबन्ध पूर्ण होने पर तीन माह तक यदि ठेकेदार/समिति किश्तों की धनराशि जमा नहीं करता/करती है तो ठेकेदार/समिति को किश्त देय की निर्धारित तिथि के पश्चात 2 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज दण्ड स्वरूप देय किश्त के साथ-साथ भुगतान करना होगा। इसी प्रकार ठेकेदार/समिति ठेके के द्वितीय व तृतीय वर्ष में तीन माह के भीतर अर्थात 30 नवम्बर तक यदि किश्त का भुगतान	**प्रस्तर-1-** **1**- ई- निविदा से सम्बन्धित अन्य शर्तों के अतिरिक्त वार्षिक आधार पर जो सबसे अधिक मूल्य प्राप्त होगा, उसकी 25 प्रतिशत धनराशि ई- निविदा स्वीकार करने के उपरान्त ठेकेदार /समिति को तत्काल अगले कार्य दिवस में जमा करना अनिवार्य होगा, शेष 75 प्रतिशत धनराशि अनुबंध के पश्चात 31 मार्च तक समान मासिक किश्तों में जमा की जायेगी। **2**- ठेके के आगामी वर्षो की धनराशि ठेकेदार/समिति को 16 अगस्त तक जमा करना अनिवार्य है, जिसके लिए समयबृद्धि नही दी जायेगी तथा शेष 75 प्रतिशत धनराशि 31 मार्च तक समान मासिक किश्तों में जमा करना होगा। **3-** श्रेणी -1 के जलाशयों में ठेकेदार/समिति द्वारा 75 प्रतिशत धनराशि को सुनिश्चित रूप से जमा कराने हेतु समतुल्य धनराशि का बैंक गारण्टी पत्र अथवा एफ0डी0 आर0 के रूप में एवं श्रेणी -2 के जलाशयों में तीन माह की मासिक किश्तों के योग के समतुल्य धनराशि का बैंक गारन्टी पत्र अथवा एफ0डी0 आर0 के रूप में सम्बंधित उप

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	नहीं करता है तो किश्तों की अवशेष धनराशि पर ठेकेदार/समिति को 2 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज की धनराशि दण्ड स्वरूप देय किश्त के साथ-साथ भुगतान करनी होगी। यदि ठेकेदार/समिति द्वारा निर्धारित समय में किश्तों की धनराशि जमा नही की जाती है अथवा ठेकेदार/समिति 31 मार्च तक 2 प्रतिशत ब्याज दण्ड स्वरूप व किश्तों की धनराशि जमा नही करता/करती है तो विशेष परिस्थितियों में निदेशक मत्स्य/प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम को यह अधिकार होगा कि वह 30 जून तक अवशेष धनराशि दण्ड ब्याज सहित जमा करने का समय बढा सकते है अथवा अपने विवेकानुसार ठेके को निरस्त कर पुन: नीलामी की कार्यवाही कर सकते हैं। द्वितीय वर्ष के ठेके के मूल्य पर 10 प्रतिशत की तथा तृतीय वर्ष के लिए द्वितीय वर्ष के मूल्य पर दस प्रतिशत की वृद्धि ठेकेदार/समिति द्वारा देय होगी।	निदेशक मत्स्य /प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम/प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ के पास बन्धक के रूप में 30 दिन के अन्दर जमा कराया जायेगा जो ठेका समाप्ति की तिथि तक बंधक रहेगी। **4-** ठेका स्वीकृत करने के उपरान्त अनुबन्ध पूर्ण होने पर एक माह तक यदि ठेकेदार/समिति द्वारा मासिक किश्तों की धनराशि जमा नहीं की जाती है तो ठेकेदार/समिति को किश्त देय की निर्धारित तिथि के पश्चात 2 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज दण्ड स्वरूप आगामी देय किश्त के साथ-साथ भुगतान करनी होगी। **5**- ठेकेदार/समिति द्वारा निर्धारित समय में मासिक किश्तों की धनराशि(बकाया ब्याज सहित) 31 दिसम्बर तक धनराशि जमा नहीं करता है तो विशेष परिस्थिति में निदेशक मत्स्य /प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम /प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ को यह अधिकार होगा कि वह 31जनवरी तक अवशेष धनराशि दण्ड ब्याज सहित जमा करने का समय बढ़ा सकते हैं अथवा अपने विवेकानुसार ठेके को निरस्त कर पुनः निस्तारण की कार्यवाही करेगें। **6-** द्वितीय वर्ष के ठेके के मूल्य पर 10 प्रतिशत की तथा आगामी वर्षो के लिए गत वर्ष के मूल्य पर 10 प्रतिशत की वृद्धि ठेकेदार/समिति द्वारा देय होगी। **7**- श्रेणी-3,4एवं 5 के जलाशयों /तालाबों में ठेके के आगामी वर्षो की 25 प्रतिशत धनराशि ठेकेदार/समिति को 15 जून तक जमा करना अनिवार्य होगा,जिसके लिए समयवृद्धि नही दी जायेगी।

http:// shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		8- श्रेणी-3,4एवं 5 के जलाशयों की 10 वर्षो की धनराशि जमा करने हेतु शासनादेश संख्या-765/57-मत्स्य-2000-5(69)/81 दिनांक 08.03.2000 के प्रस्तर-3(5) के प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।
शासनादेश संख्या-3856/सत्रह-म-2003-5(69)/81 दि0-18.12.2003	**2-** शासनादेश दिनांक 20 अप्रैल, 2001 के अन्तर्गत श्रेणी- 1 व 2 के जलाशयों के तीन वर्षो के लिए नीलाम किये जाने का प्राविधान है फिर भी कभी कभी ठेकेदार/समिति द्वारा ठेके की शर्तो का उल्लघंन करने पर उसके ठेके को निर्धारित अवधि से पूर्व निरस्त करना पडता है। उक्त स्थिति में ठेके को पुन: अवशेष अवधि के लिए नीलाम किये जाने में आ रही कठिनाईयों के निवारण के लिए सम्यक विचरोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का भी निर्णय लिया गया है :- (क) यदि किसी जलाशय का ठेका ठेके के किसी वर्ष किन्ही कारणोवश निरस्त किया जाय तो उन जलाशयों के ठेके की नीलामी उस वर्ष की बची हुई अवशेष अवधि तथा अगले 3 वर्षो के लिए एक साथ करायी जाय। इसके अन्तर्गत ठेके की नीलामी उस वर्ष की अवशेष अवधि तथा अगले 3 वर्ष हेतु किया जायेगा जो कि किसी भी दशा में 4 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए न होगा। (ख) अवशेष अवधि हेतु ठेके की, की गयी कार्यवाही में उच्चतम बोलीदाता ठेकेदार/समिति को 100 प्रतिशत धनराशि बोली स्वीकार होने के उपरान्त तत्काल जमा करनी होगी।	**2-** जलाशयों को कभी-कभी किसी ठेकेदार/समिति द्वारा ठेके की शर्तो का उल्लघंन करने पर ठेके को निर्धारित अवधि से पूर्व निरस्त करना पडता है। ऐसी स्थिति में ठेके को पुन: अवशेष अवधि के लिए निस्तारण किये जाने में आ रही कठिनाईयों के निवारण के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :- **(क)** यह व्यवस्था सभी श्रेणी के जलाशयों पर लागू होगी। किसी मत्स्य वर्ष में ठेके की अधिकतम बची छ: माह की अवशेष अवधि रहने की स्थिति में उस अवशेष अवधि तथा आगामी 10 वर्षो के लिए ई-निविदा/निविदा एक साथ करायी जायेगी जो कि किसी भी दशा में 11 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी। अवशेष अवधि हेतु धनराशि की गणना प्रथम वर्ष (अवशेष अवधि के उपरान्त) के ठेके की धनराशि के आनुपातिक आधार पर करायी जायेगी अर्थात जिस ठेकेदार/समिति के पक्ष में उच्चतम ई-निविदा/निविदा के आधार पर ठेका आगामी वर्षो के लिए दिया जायेगा। उस ठेके की शेष अवधि के लिए भी ठेका लेना बाध्यकारी होगा। **(ख)** ठेकेदार/समिति को अधिकतम छ: माह की अवशेष अवधि हेतु 100 प्रतिशत धनराशि ई-'निविदा प्रक्रिया समाप्त होने के तत्काल अथवा अगले कार्य दिवस में बैंक ड्राफट /आर0टी0जी0एस0 द्वारा जमा करनी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		होगी। जिन प्रकरणों में 6 माह से अधिक की बकाया अवधि शेष रहेगी, उनमें ठेका अवधि 07 से 08 माह की अवशेष अवधि के विरूद्ध 60 प्रतिशत की धनराशि निविदा के तुरन्त बाद तथा 40 प्रतिशत धनराशि ठेका स्वीकृत होने के एक माह में जमा करनी होगी एवं किश्त की धनराशि जमा करने हेतु समयबृद्धि प्रदान नहीं की जायेगी।
श्रेणी 1,2, एवं 3 के जलाशयों के कुल जलभराव क्षेत्रफल (TOTAL WATER SPREAD AREA) का पॉच प्रतिशत एवं न्यूनतम एक प्रतिशत जलक्षेत्र भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर केज/पैन हेतु निर्धारित मार्ग-निर्देशानुसार संचालन एवं मत्स्य अनुसंधान कार्यो हेतु आरक्षित रहेगा तथा परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने हेतु सम्बंधित ठेकेदार/ समिति बाध्यकारी होगी।		

3- शासनादेश संख्या- 3563/12-मत्स्य-83 दिनांक12.08.1983 द्वारा उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ को हस्तानान्तरित जलाशयों की व्यवस्था को शासनादेश संख्या-765/57/-मत्स्य-2000-5(69)/81, दिनांक 08.03.2000 द्वारा अतिक्रमित कर दिया गया था, किन्तु उक्त शासनादेश में हस्तानान्तरित जलाशय निगम के पास बने रहने का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। उपरोक्त के दृष्टिगत पूर्व में हस्तानान्तरित प्रश्नगत जलाशय (उत्तराखंड राज्य के अन्तर्गत आने वाले जलाशयों को छोडकर) निगम के पास बने रहने की पूर्ववत व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया जाता है।

4- शासनादेश संख्या-765/57-मत्स्य-2000-5(69)/81,दिनांक 08 मार्च, 2000, शासनादेश संख्या-1573/57-म-2000-5(69)/81 दिनांक 20 अप्रैल 2001,शासनादेश सं0-2845/57-म-2002-5(69)/81 दिनांक 09 अगस्त, 2002 एवं शासनादेश संख्या-3856/सत्रह-म-2003-5(69)/81 दिनांक18 दिसम्बर,2003 सहित अन्य सुसंगत शासनादेश उक्त सीमा तक तात्कालिक प्रभाव से संशोधित समझे जायेंगे। निर्गत किये जा रहे शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्था /प्राविधान के अन्तर्गत ठेके के अनुबन्ध एव ई-निविदा /निविदा की शर्तो का निर्धारण निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

5- कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

संख्या 23/2018/1263 /(1) सत्रह -म-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश ।
4- निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तर प्रदेश ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
6- प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
7- निदेशक, पंचायतीराज विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8- निदेशक, सूचना विभाग उ0प्र0 ।
9- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश।
10-समस्त मुख्य विकास अधिकारी / जिला विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश।
11-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
12-समस्त उप निदेशक मत्स्य/ सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण उत्तर प्रदेश।
13-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।